ग्राम पंचायत गही लगोड, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत गही लगोड, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति बबली देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री विशम्बर दास	23-01-16 से लगातार

सचिव:

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुभाष चन्द	30-08-2008 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹लाखों में}
1	6	दिनांक 31.3.2016 को पंचायत राजस्व की शेष वसूली	0.59
2	7	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय	0.21
3	7.1	दिनांक 31.3.2016 की अनुदानों की उपयोग हेतु शेष राशि	13.43

4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.39
5	10	क्रय सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	0.39

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत गही लगोड़, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है ,श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 28-11-2016 से 02-12-2016 तक के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय गही लगोड़ में किया गया । आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01/14, 02/15 व 02/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07/13, 02/15 व 10/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत गही लगोड़, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 201 दिनांक 23 -09-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गही लगोड़ से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत गही लगोड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

{1} स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत गही लगोड़ के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	476935	42800	519735	64015	455720
2014-15	455720	97805	553525	103272	450253
2015-16	450253	32995	483248	62319	420929

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत गही लगोड़ के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट -1** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	560571	4483482	5044053	4235827	808226
2014-15	808226	2847224	3655450	2855872	799578
2015-16	799578	4187900	4987478	3644113	1343365

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB Nurpur	50051943657	21648
2.	KCCB Nurpur	50051943679	825
3.	KCCB Nurpur	50051943589	1014141
4.	KCCB Nurpur	50051943613	35263
5.	KCCB Nurpur	50051943668	39942
6.	KCCB Nurpur	50051943602	75358
7.	KCCB Nurpur	50051943624	35984
8.	KCCB Nurpur	50056056252	219
9.	KCCB Nurpur	50056056241	2470
10.	KCCB Nurpur	50056056296	1163
11.	KCCB Nurpur	20003061824	234704
12.	HGB Nurpur	88060101215947	3172
13.	HGB Nurpur	88060101215938	248412
14.	HGB Nurpur	2302	72149
		CASH IN HAND	76
		TOTAL	**1785526**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1785526

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष :- ₹ 1764294

अन्तर :- ₹21232

अन्तर का कारण :- विभिन्न बैंको से खातों पर अर्जित ब्याज की ₹21232 जिसे रोकड़ बही में दर्ज किया गया था। जिसका विवरण **परिशिष्ट-2** पर दिया गया है । अतः परामर्श दिया जाता है कि अब इस ब्याज की राशि की रोकड़ वही में प्रविष्टि दर्ज करके अंकेक्षण को कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा । यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह,नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और ऋण मानी जाएंगी। इस आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्रो। त की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बहीयां व चौदह पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो कि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख -रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 नियमों के विरुद्ध चौदह बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्धारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार चौदह बैंक बचत खाते खोले गए है । अत:नियमों के विपरीत खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त 12 खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाना आपेक्षित था। जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जानी थी तथा प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जानी थी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है । जिस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व की ₹ 0.59 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

परिशिष्ट-3 के अनुसार पंचायत की स्व -स्त्रोत से प्राप्त गृहकर आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 तक पंचायत के राजस्व ₹59040 की वसूली शेष थी। अतः लंबित आय की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाकर इसे शीघ्र वसूलने उपरांत अंकेक्षण को कृत अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	9100	27550	36650	----	36650
2014-15	36650	22350	59000	17640	41360
2015-16	41360	22370	63730	4690	59040

7 प्राप्त अनुदानों से ₹ 0.21 लाख अधिक व्यय करना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-16 को तृतीय राज्य वित्त आयोग अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत ₹20508 किसी अन्य स्त्रोत से व्यय की गई जोकि अनियमित व गम्भीर

मामला है । अतः इस संबंध में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये कि यह अधिक राशि किस स्त्रोत से आहरित की गई है।

7.1 अनुदान ₹ 13.43 लाख की अनुपयुक्त राशि:-

पंचायत द्धारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹ 13.43 लाख उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 258 दिनांक 02-12-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गेहीं लगोड़ को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को संबन्धित प्रयोजन पर व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8 बोल्डर ट्राली की मात्रा न दर्शाने बारे:-

वाउचर संख्या 127 माह 2/15 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹39006 का भुगतान 6 टिप्पर रोड़ी हेतु भुगतान पंचायत द्वारा किया गया है परन्तु रोड़ी की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में बोल्डर की सही मात्रा की जाँच की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत :बोल्डर की मात्रा के स्थान पर केवल ट्राली दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 0.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित

है । वाउचर संख्या :-127 माह 2/15 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹39006/- का भुगतान 6 टिप्पर रोड़ी हेतु भुगतान पंचायत द्वारा किया गया है परन्तु उक्त व्यय के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10 क्रय की गई ₹ 0.39 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त पैरा अनुसार ₹39006 की निर्माण व अन्य सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज व जारी करना नहीं दर्शाया गया है जिस अभाव के कारण व्यय की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :- 260 दिनांक 2-12-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत गेहीं लगोड़ को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत गेहीं लगोड़ द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	संदर्भित नियम
1.	चैक बुक रजिस्टर	
2.	रसीद बुक रजिस्टर	
3.	डाक टिकट रजिस्टर	61(2)

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक प्रतिभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही । अतः इस समिति के गठन के न किए जाने के औचित्य को स्पष्ट करते हुये अब शीघ्र ही इसका गठन करके कृत अनुपालना को अवगत करवाया जाये।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

15 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 79/2017–खण्ड–1–1353–1356 दिनाँकः06.03.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत गहीं लगोड़, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.